पुष्पेन्द्र सिंह विरुद्ध जगजीवन प्रसाद

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 839–तीन / 08 जिला – रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1.10.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक निग. 280–तीन / 07 में पारित आदेश दिनांक 16–5–08 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात / साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल / गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक की ओर से पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हों । (एम के.सिंह) सदस्य राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर	

CANCELLED

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांकः- /2008 रीवा/पुनर्विलोकन

रि०प्र०- 835-पी/08

पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री विश्वनाथ सिंह
निवासी- बजरंग नगर जिला रीवा म.प्र.
———— आवेदक

रामसेवक शर्मा, अभि०
22/07/08 को प्रस्तुत।
22-7-08

बनाम

1- आशुतोष मोहन गुप्ता पुत्र मदन मोहन
गुप्ता निवासी-मणिदीप गांधीनगर ...
तहसील हुजूर जिला रीवा

2- मेसर्स रायल टायगर रिसार्ट बांधवगढ़
मैनेजिंग पार्टनर द्वारा आशुतोष मोहन गुप्ता

3- पवन कुमार गुप्ता पुत्र श्री शंकरलाल गुप्ता
निवासी- नगर निगम के सामने व्यंकट रोड
रीवा म.प्र. ———— अनावेदकगण

22. 6. 08